बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ०बजट०विविध–63 / 2015– 5037 /कृ0, पटना, दिनांक 12/10/ , 2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, कृषि / उद्यान / भूमि संरक्षण / पी०पी०एम०, बिहार, पटना / अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) / संयुक्त निदेशक (शष्य)–सह– नियंत्रक एवं माप–तौल / संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, पूर्णियाँ / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र / उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना / सभी उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण / सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण) / संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट / वायोगैस, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण प्रयोगशाला / उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी (मुजफ्फरपुर)–सह–प्राचार्य / सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला / सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण) / सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय / सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग / लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष, 2015–16 में माह जूलाई, 2015 तक हुए व्यय का सत्यापन महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से कराने के संबंध में।

प्रसंगः– महालेखाकार बिहार पटना का पत्रांक–ए०ए०/व्यय प्रतिवेदन / 2015–16 / 580 दिनांक–07.09. 2015, पत्रांकः–632 दिनांक–07.09.2015 एवं वित्त विभाग का पत्रांकः–835 दिनांक–22.09.2015।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष, 2015–16 के माह जूलाई 2015 तक प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के लेखा का सत्यापन कराया जाना है। प्रत्येक तीन माह पर लेखा का सत्यापन कराया जाना बिहार वित्तिय नियमावली के नियम 475 के तहत आवश्यक है। इसके लिए अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सत्यापन दल को महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त करते हुए सत्यापन की कार्रवाई दिनांक–17.10.2015 तक पूरी कर लेना सुनिश्चित किया जाए।

महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से विभागीय व्यय के आँकड़ो का सत्यापन कराकर इसकी प्रति सहायक, सांख्यिकीज्ञ–सह–प्रभारी पदाधिकारी, "बजट", कृषि विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5037 /कृ0, पटना दिनांक 12/10/ 2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि सत्यापन दल को अपेक्षित सहयोग करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी को देने की कृपा की जाय।

2. वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई०टी० मैनेजर कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Rashmi dt 09.05.2014. (2).doc